कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 27 दिनांक- 17.02.2025

आदेश

प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा इस आशय की आख्या दिनांकित 17.02.2025 प्रस्तुत की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 590/Admin.(E-I) Section/XC-04/दिनांकित: 13.01.2025 द्वारा निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट-1881 के अधीन दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्राति पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक आदेश संख्या 317 दिनांकित 23.12.2024 द्वारा जनपद न्यायालय कासगंज में पूर्व से ही मकर संक्राति के अवसर पर दिनांक 14.01.2025 को स्थानीय अवकाश घोषित था। माननीय न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालयों हेतु जारी कैलेण्डर वर्ष 2025 के टिप्पणी संख्या-3 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को जिलाधिकारी से विचार-विमर्श करके 05 दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मकर संक्राति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप एक दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना है। कासगंज बार एसोसिएशन द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांकित 15.02.2025 के माध्यम से दिनांक 29.03.2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतएव मकर संक्राति के अवसर पर पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 29.03.2025 को चैत्र अमावस्या के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है।

अतः प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्या के आलोक में मकर संक्राति के अवसर पर पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 29.03.2025 को चैत्र अमावस्या के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

घोषित किये गये अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जाये।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(रामेश्वर)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज।
2- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, कासगंज।
3- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद कासगंज।
4- जिलाधिकारी, कासगंज।
5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
9- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज।
10- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।
11- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12- सिस्टम आफीसर आदेश की सूचना जपनद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13- गार्ड फाइल।

सत्य प्रतिलिपि
17/02/25
प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय, कासगंज